10/A

राजस्व लोक अदालत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 328/17 तारीख रजू– 15/09/2017

रामलाल पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा उम्र 60 वर्ष निवासी धीरोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
----अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर। ------ रेस्पोण्डेण्टस

निर्णय दिनांक–. 31.1.19

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा मिसल संख्या 471/13 मे पारित निर्णय दिनांक 16/09/13 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम लहसोडा के आराजी खसरा नं0 252 रकबा 0.25 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की और से पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है ओर न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मोके का निरीक्षण किया है। वर्तमान में उक्त वाद आराजीयात पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट का पश्चावर्ती अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्ट का उक्त वाद–आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्ट का उक्त वाद–आराजीयात पर पूर्व में कोई अतिक्रमण नहीं था, साथ ही अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार की अनियमिता व अवैधानिकता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

दोनो पक्षो की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) का नोटिस जारी किया जिस पर अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ । जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचार होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट शामिल है। अदालत मातहत द्वारा सिविल कारावास की कठोर सजा का दण्ड पारित करने से पूर्व, खसरा परिवर्तनशील(पी.14) की प्रमाणित प्रति की रिपोर्ट दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे पत्रावली मे शामिल होना आवश्यक है जिससे अपीलार्थी पर पश्चातवर्ती अतिचार की पुष्टि हो सके जिसका इस प्रकरण मे अभाव पाया जाता है। अतः बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलार्थी के विरूद्व पारित सिविल कारावास की सजा का आदेश न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित सिविल कारावास का आदेश निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश बेदखली,शास्ति एवं फसल नीलामी को यथावत रखा जाता है तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत सिविल कारावास के बिन्दु पर पुनः 60 दिवस में विधिवत् निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 31.1.19 को राजस्व लोक अदालत में लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर